

परिवहन विभाग  
अधिसूचना  
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1आर दिनांक 14.7.2014 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-


संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 5 की मद (क) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "7.5 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "8.5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) सारणी के क्रम संख्यांक 5 की मद (ख) के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "6.0 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "7.0 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) स्पष्टीकरण (2) के विद्यमान खण्ड "क." के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"क. नये यान/चैसिस की दशा में, किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित एक्स-शोरूम कीमत होगी।"

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1वी]  
राज्यपाल के आदेश से,

  
डॉ. मनीषा अरोड़ा,  
संयुक्त शासन सचिव

**TRANSPORT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1R dated 14.07.2014, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

**AMENDMENTS**

In the said notification,-

- (i) in column number 3 against item (a) of serial number 5 of the table, for the existing expression "7.5%", the expression "8.5%" shall be substituted;
- (ii) in column number 3 against item (b) of serial number 5 of the table, for the existing expression "6.0%", the expression "7.0%" shall be substituted; and
- (iii) The existing clause "a." of Explanation (2) shall be substituted by the following, namely:-
  - "a. In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1V]

By Order of the Governor,

  
**(Dr. Manisha Arora)**

Joint Secretary to the Government